

वागाराम बंनम गेखलान
५/2018 (T.I)

के वाफ गृहस्त आशजी खण्ड
756, 757, 758, 759, 760, 761
762, 763, 764, 765, 766, 767, 768
769, 770, 771, 772, 773 कुल 18 खण्ड
पुमले रकबा 15-45 है का फातेहवी
का राजस्व रेकॉर्ड मे वाशीसदारान का
अमल दरामद किया जा सकता है
लेकिन वाफ गृहस्त आशजी का आशजी
पेवरी तक हस्तक्षेप किसी भी प्रकार
से हस्तान्तरण नहीं किया जाने
की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
जारी की जाती है। मिसल वास्तु
जवाब/तलबी दिनांक 20/2/18 को
पेश हो।

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

31-1-18 पत्रावली आज पेश ई।

वागाराम



आर्थी आधिकारिक द्वाारा प्रथीनापत्र पेश
का पत्रावली आज सुनवाई पर लक्ष्म काने
का पेश किया गया अपार्थी की जोर से
अनुपास्थित रहे अतः प्रथीना का स्वीकृ
किया जाकर पत्रावली न्यायालय मे
पेश हुआ। (आर्थी) आधिकारिक ने
प्रधान मेराजी नामा होने से खारिज
करने का प्रथीनापत्र पेश किया।
अतः प्रथी का प्रथीनापत्र बाबर
अस्थाई निषेधाज्ञा का जरिये राजीनामा
विशेष खारिज किया जाता है। पत्रावली
केस अग्रसर हो।

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

रसम मुकदमा

रीख
कम